भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या – 3971

(जिसका उत्तर शुक्रवार, 09 दिसंबर, 2016/18 अग्रहायण, 1938 (शक) को दिया गया)

<u>भारतीय कंपनियों पर ऋण</u>

3971. श्री पी. श्रीनिवास रेड्डी:

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कंपनियों के ऋण का मामला सरकार के लिए बड़ी चिंता का विषय बन गया है तथा कुछ पारिवारिक व्यापारिक घरानों पर काफी अधिक ऋण है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त ऋणों को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए/किए जा रहे हैं?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) और (ख): सूचीबद्ध और पब्लिक लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड गैर-सरकारी गैर-वित्तीय कंपनियों के आंकड़ों के दो अलग-अलग सेटों पर आधारित कारपोरेट क्षेत्र का एक विश्लेषण भारतीय रिजर्व बैंक के जून 2015 के वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में सम्मिलित है। यह रिपोर्ट दर्शाती है कि लाभांवित कंपनियों के अनुपात में सूचीबद्ध कंपनियों की संख्या अधिक है। इसके अतिरिक्त, यह दर्शाता है कि पब्लिक और प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों के लाभ में सामान्यतया वर्ष 2014-15 में सुधार आया है जबकि ऋण अनुपात बढ़ती प्रवृत्ति दर्शाता है। तथापि, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों की ऋण शोधन क्षमता में सुधार आया है जबकि पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के मामले में यह लगभग समान ही रहा है।

सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों के सामने आ रही समस्याओं को दूर करने के लिए कई कदम उठाए हैं। उदाहरण के लिए इस्पात उत्पादों का आयात शुल्क बढ़ा दिया गया, अतिरिक्त बचाव शुल्क लगाए गए और न्यूनतम आयात मूल्य बढ़ाया गया; सड़क क्षेत्र के मामले में बंद पड़ी योजनाओं के लिए विनिर्माण अवधि के दौरान भी निर्गम हेतु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के अनुमोदन से ऋणदाताओं के आग्रह पर एवजी रियायती प्रतिस्थापित करने के प्रावधान बनाए गए, रियायती को व्यावसायिक परिचालन तारीख (सीओडी) के बाद दो वर्षों की 100% इक्विटी निकालने की अनुमति भी दी गई, एनएचएआई निधि की कमी से प्रभावित धीमी गति से चल रही परियोजनाओं में एकमुश्त देगा ताकि उन्हें पूरा किया जा सके, कुछ जर्जर सड़क परियोजनाओं में सुधार के लिए प्राथमिक पुनर्लागत भी एनएचएआई द्वारा अनुमोदित की गई थी; ऊर्जा क्षेत्र के लिए, वितरण कंपनियों (डिसकॉमस) के वित्तीय और परिचालन पहलुओं को सुदृढ़ करने के लिए एक योजना [उज्जवल डिस्कॉम एस्योरेंस योजना (उदय)] लागू की गई थी। सरकार ने कारपोरेट इंसोल्वेंसी के अधिक प्रभावी समाधान के उद्देश्य से दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के रूप में एक नया ढांचा भी तैयार किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बड़े लेनदारों तक पहुंच के लिए बैंकों की समस्याओं के समाधान के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

*****